

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/2/22
पक्षकाराने के अधिकारको

जीलदार - अधिकारी - जे जेलिंग में काम करे /
मामूली - जे जेलिंग में काम करे /
जेलिंग - जेलिंग - जेलिंग - 12/5/22

प्रती 22

वारी के निकेटक पर पक्षकाराने
पक्षकाराने - हुक्म वारी में - निकेटक पर
पक्षकाराने - निकेटक - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने के मय - राशी मय - जेलिंग - पक्षकाराने
हुक्म - जेलिंग - मय - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने मय - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
विशेष - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने - जेलिंग
वारी के निकेटक पर - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
विशेष - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने - जेलिंग
पक्षकाराने - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने
पक्षकाराने - जेलिंग - वारी - पक्षकाराने

महामुख कलक्टर
(SDO) खीरवाड़ा

वीके
25/04/22
Presented by
सायरसिंह / अर्जुनसिंह



सेवामें,

श्रीमान सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. महोदय,

खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 51/2013

तारीख पेशी 12.5.2022

वादी -

प्रतिवादीगण-

सायरसिंह

बनाम

अर्जुनसिंह वगैरा

वाद अधीन धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र वाद पत्र को विद्वावल जरिए खारिज करवाने बाबत

श्रीमानजी,

वादी की और से निम्न प्रार्थना पत्र पेश है-

1. यह है कि, उपरोक्त अनवान प्रकरण का राजस्व वाद न्यायालय हाजा में पत्रावली दिनांक 12.05.2022 को निहित हो रखी है।
2. यह है कि, वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बसमझाइस मौतबिरान व लोक अदालत की भावना से अपनी स्वेच्छा एवं सहमति से राजीनामा गांव में हो गया है इसलिए प्रकरण को अब वादी आगे चलाना नहीं चाहता है।
3. यह है कि, पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जरिए विद्वावल प्रार्थना पत्र के वाद को आज ही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इति

स्थान-नागौर

दिनांक-

सायरसिंह